Kashmir, the destination for the tourists is Goa. Since Goa was a Portuguese colony, ITDC did not start anything in Goa. I would request the Minister to have similar facility in Goa also.

THE DESTRUCTIVE INSECTS AND PESTS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1992

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now Shri Balram Jakhar will move his Bill.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): Sir, I move:

> That the Bill further to amend the Destructive Insects and Pests Act, 1914, as pssed by Lok Sabha, be taken into consideration."

This is a very small amending Bill. The issue came up in 1988 and there was some sort of legal implication because some people went to the High Court and the High Court directed that some fees collected should be refunded. As you know, we had devised it in 1988 to safeguard the interests of the country and of the farmers so that nothing should come into the country wihtout proper investigation and without proper care because there is always a danger that some uncalled for pests might just infiltrate, because that did happen some years back. I have had the old record checked up and, therefore, we had to put up the infrastructure to see that nothing untoward happens and the interests of the country and of the farmers were safe. For that, we had to levy a fee which we charged, and against that levy, some parties went to the High Court. First it was the Calcutta High Court which said that refund should be made, and then it was the Bombay High Court. But, as you know, for imports under OGL we had to be careful and for taking care of it, we had to put up certain infrastructure which meant lot of money to be spent on the sophisticated instruments, because Government wanted to take all care in that regard. Some people said that they did not want to pay and the Court also said that we have to refund the money collected. That is why, we had to bring in an Ordinance in January 1992. This is the only thing for which this amending Bill has been brought. It has got nothing else. In the other House some people said that this was a new policy. But there is nothing new. It is just the nomenclature which might mislead some people or some friends somewhere. This is just a simple Bill to remove any lacuna on the legal side. I can assure the House that the interests of the farming community, the interests of the country, will be looked after properly.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I think, no discussion is necessary. What is the sense of the House?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir, discussion is necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What discusion you want?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I will speak. (*Interruptions*) I have certain doubts.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Doubts you can ask.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): All right. You speak, Mr. Gautam,

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ संदेह हैं । लेकिन मैं संदेह पूछूं उससे पहले आप आज्ञा दे तो मैं अपनी बात कह लूं ।

मंत्री जी मेरे पांच संदेह हैं । 1914 में यह विधेयक लागू हुआ था । 75 वर्ष तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ । आज संशोधन की आवश्यकता क्यों है, यह पहला संदेह है ।

पहला संशोधन जो आपने किया वह 1989 में 27 अक्टूबर को किया । वह एक आदेश से किया और तब किया जब कोई सरकार नहीं थी । काम चलाऊ सरकार थी, तब किया जब नयी संवैधानिक सरकार बनने में मुश्किल से एक सप्ताह था । यह मेरा दूसरा संदेह है ।

मेरा तीसरा संदेह यह है कि उस आदेश के खिलाफ जब लोग उच्च न्यायालय में चले गए और उच्च न्यायालय ने आपके खिलाफ आदेश दे दिया तो उसके बावजूद भी आप इस संशोधन को ला रहे हैं । यह मेरा तीसरा संदेह है ।

मेरा चौथा संदेह यह है कि आप फिर अध्यादेश के माध्यम से संशोधन को लाए, 25 जनवरी, 1992 में । आपको मालूम था कि तीसरे सप्ताह में हर साल बजट सत्र होता है । कोई मुश्किल नहीं आ रही थी । आप अध्यादेश क्यों लायें । इस विधेयक को आज ला सकते थे । इसलिए यह मेरा चौथा संदेह है । और एक पांचवां संदेह मेरा यह है कि हर विधेयक के साथ कोई मन्तव्य, मंशा, आब्जेक्टिव होता है अगर इस विधेयक का कोई आब्जैक्टिव ही नहीं है ।

मान्यवर, आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए । मेरा ये संदेह है । दूसरा, आपको देखने में और कहने में यह विधेयक बड़ा छोटा और सरल लगता है लेकिन मुझे इसके दूरगामी परिणाम यहां के किसानों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए बड़े घातक दिखाई दे रहे हैं । आखिर इनकी मंशा क्या थी । मंशा यह थी कि आप बीज लाएंगे नाशक कीट लाएंगे, नाशक जीव लाएंगे। काहे के लिए? बीमारी न फैले और खाद्यान्न की बढ़ोत्तरी हो । लेकिन मान्यवर, हमें जरूरत क्या है चीज लाने की । हम तो आज भी बीज निर्यात कर रहे हैं । इसके अलावा आपने जितने अनुसंधान केन्द्र खोल रखे है, हमारी नाक के नीचे पूसा का इतना बड़ा अनुसंधान केन्द्र है, पंतनगर का है उनमें अनेकों प्रकार के नाशक कीट, नाशक जीव और बीज बना रही हैं और बना सकते हैं । जब हम निर्यात कर रहे हैं तो मेरा संदेह इसलिए और पुष्ट होता है । मान्यवर, अगर आपकी मंशा यह है कि हम किसानों का इंटरेस्ट इन्टैक्ट रखना चाहते हैं, तो किसानों के इंटरेस्ट के साथ हमारे देश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है और हमारे देश का इंटरेस्ट है कि खाद्यान्न की पैदावार ज्यादा हो । इसमें आत्मनिर्भरता आए । तो क्यों नहीं सबक लिया हमने आपने चीन से । चीन हमसे बाद में आजाद हुआ और उसने अपनी सारी योजनाएं छोड़कर केवल एक योजना बनाई, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता । आज भी चीन हमसे ज्यादा गल्ला पैदा करता है । आज जो करोड़ों हेक्टेयर जमीन इस देश में बीहड़, ऊसर बंजर-बंजर, जोहड़, पोखर, नाले गोले आदि में पड़ी हुई है जिसमें खेती हो सकती है क्यों नहीं आपने योजना बनाई कि आप उसको समतल बनाएं, बुलडोजर से एकसार कराएं, उपजाऊ बनाएं, पानी निकालें ताकि उसमें बीज उगाए जा सकें । इससे हमारे किसानों को काम मिलेगा, उनको जमीन मिलेगी, आबंटित होगी और फिर वे आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे खाद्यान्नों के उगाने में । लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं है । मेरा खतरा यह है कि जब से रूस की शक्ति नष्ट हुई है । तब से हमारी सरकार की सोच बिलकुल बदल गई है । आए दिन नये संशोधन, विधेयक आ रहे हैं और हर मिनिस्ट्री में यह ला रहे हैं । यद्यपि यह स्पष्टीकरण करते हैं कि हम देश के साथ सौदा नहीं करेंगे, देश को गिरवी नहीं रखेंगे, लेकिन मेरा संदेह बढ़ता चला जा रहा है ।

मेरा संदेह यह है कि जैसा आपने कहा कि इतना ज्यादा आयात बढ़ गया है

इन चीजों का, नाशक कीटों का, नाशक जीवों का कि आपको उसे संचालन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है । यह आपके कृषि मंत्रालय का एक भाग है । कृषि मंत्रालय के पास बहुत पैसा है । आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है और आपका पहले से यह कानून बना हुआ है, सीधी सी बात यह है कि आप विदेश से सारे बीज आयात करके, हमारे देश में चीजों का उत्पादन और अनुसंधान ठप्प करना चाहते हैं और उससे हमारे देश की प्रगति में आप बाधा पैदा करना चाहते हैं ।

मेरे साम्यवादी भाई क्षमा करेंगे-- चीन की बात मैंने कही । तोउनको खुशी हुई होगी लेकिन रूस में जब बरसात होती थी, तो हमारे यहां साम्यवादी भाई भारत में छाता तानते थे । जब आज रूस गिर गया तो साम्यवाद का बंटाधार हो गया । कल को अगर अमरीका का विनाश हो गया, तो हमारे देश का क्या होगा ? आप कहां से यह सारी चीजें लायेंगे ?

इसलिए बजाए आप विदेश की तरफ देखें, अपने देश को आत्म-निर्भर बनाइये । एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहां वैज्ञानिकों की योग्यता व क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है । तो मैं चाहूंगा मंत्री जी, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं । मैं जानता हूं कि किसान का हित कहां पर है । किसान का हित इसमें है कि जो बीज उसके पास नहीं है, वह उसे आप समय पर सस्ता दे दें, पानी, बिजली दे दीजिए, उसकी लागत को कम कर दीजिए और पैदा की हुई चीज लागत व मुनाफे के साथ खरीद लीजिए । इसमें किसान का हित है । उसमें किसान का हित नहीं है, जो आप कह रहे हैं । तो आप किसान के हित को इस तरह से देखिये ।

महोदय, मैं अन्तिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप ही बताइये कि इस प्रकार से यह दोहरी नीति आप क्यों चला रहे हैं--एक तरफ निर्यात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आयात कर रहे हैं--आप यह कह सकते हैं कि बीज का निर्यात कर रहे हैं विदेशी मुद्रा कमाने के लिए । मेरा आखिरी वाक्य है कि हम भूखे भी हैं, नंगे भी हैं और सड़क पर पड़े हुए हैं, जाड़े में और हमको पैसा मिलता है, तो क्या तीनों चीजें हम एक साथ करेंगे । पहले एक चीज करेंगे, पहले खाना खायेंगे, फिर कपड़ा बनायेंगे और उसके बाद हम मकान बनायेंगे, तो निर्यात मत करिए ।

विदेशी मुद्रा कमाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना देश का खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होना आवश्यक है ।

इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1991-92 (MARCH, 1992)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1991-92 (March, 1992).

THE DESTRUCTIVE INSECTS AND PETS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1992—Contd.

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि असल में यह जो विधेयक लाया गया है, यह हमारे देश के लिए कितना प्राफिटेबल होगा, हमारे किसानों के लिए कितना प्राफिटेबल होगा ।

हम चाहते हैं कि अपने देश में जितना उपजाऊ हमारे कृषक को होना चाहिए, हम उतना कर नहीं पाते हैं और अपने देश में जितना चाहे उद्योग-धंधा लगाने के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें काम करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें मेरे ख्याल से जितना